

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.3(3)पो/गु.नि./ICDS/2011/१३७१६-५०५७७

जयपुर, दिनांक
२३-५-१८

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।


बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषय :- गरम पूरक पोषाहार निर्माण में दो बार संपुष्टिकृत (आयरन एवं आयोडीन) नमक प्रयोग किये जाने बाबत।

संदर्भ :- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पत्रांक 3.7.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत आयु वर्ग 3 - 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जा रहे गरम पूरक पोषाहार में दो बार संपुष्टिकृत (आयरन एवं आयोडीन) नमक का प्रयोग किया जाना है।

अतः आप आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूहों को राज्य में उपलब्ध टाटा साल्ट प्लस, अंकुर साल्ट प्लस, जगन्नाथ एवं मेडी प्लस ब्रांड नमक का उपयोग लिया जाना सुनिश्चित करावे, ताकि लाभान्वितों में आयरन एवं आयोडीन की कमी को पूर्ण किया जा सके।


(सुषमा अरोडा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर